



न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी 493-PBR/15

राजस्व याचिका क्र. :-

प्रस्तुती दिनांक :-

याचिकाकर्तागण :-

1. मनमोहन आ. श्री चम्पालाल जी सोनकर
2. बृजमोहन आ. श्री चम्पालाल जी सोनकर
दोनो नि. डबल फाटक के पास हरदा, तह. एवं जिला-हरदा
बनाम

1. मदनमोहन आ. चम्पालाल जी सोनकर
नि. डबल फाटक के पास हरदा, तह. एवं जिला-हरदा
2. श्रीमति स्नेहलता पत्नी चंद्रकिशोर मेव,
पुत्री श्री चम्पालाल जी सोनकर,
निवासी 148/1 मूसाखेड़ी हंदौर, जिला-हंदौर मध्यप्रदेश
3. श्रीमति रुखमणी पत्नी राधेश्याम जी सोनकर,
पुत्री श्री चम्पालाल जी सोनकर
निवासी घमापुर, जबलपुर (म.प्र.)

संकीर्ण दुजे
धरवाता एटा (होशंगाबाद)
उत्तरवादीगण
तुत
A.S.
03/03/15
A.S.

संक्र. 4698
स्टैंड पोस्ट द्वारा आज
संक्र. की प्राप्त

345
कैम्प ऑफिस कोर्ट
राज मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

याचिकाकर्तागण यह निगरानी, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा राजस्व अपील क्र. 46/अपील/09-10 में पारित आलोच्य आदेश दि.08/01/2015 से व्यथित होकर निम्न तथ्यो व विधि के सिद्धांतो के आधार पर प्रस्तुत करते है :-

(Signature)

R 493-1082/15 हटा
मनमोहन आर्य/मदन मोहन आर्य

27.6.2017

आवेदनकर्ता की ओर से श्री
स्वदीप ठाकुर आदिनाथ के उपाधिकृत
होकर निवेदन किया कि उनके घर
में व्यवस्था आयातक से आदेश होना
है। अतः प्रकृत पृथी चवाना चाहिए।
अनुपस्थिति में किया जाता है। अतः
पृथी चवाने के कारण समाप्त किया जाता है।

मिनिस्टर न्यायालय में
समस्त ना के अर्थात्
है व धर्मिण
मनी चवाना
चाहते

27/6

अध्यक्ष